मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– /07/सीसी/अड़तीस भोपाल,दिनांक–

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुड़ा भवन,भोपाल।

विषयः–म.प्र. निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम ,2007 के तहत् विनियामक समिति की तैयार की गई सेवाशर्ते एवं सुविधाऐं।

––0––

म0प्र0 निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 राज्य शासन द्वारा 2 जून, 2007 से प्रभावशील किया गया है।

अधिनियम की धारा 42 (2) के तहत विनियामक आयोग का गठन किया गया है। विनियामक आयोग की नियुक्ति, सेवाशर्ते एवं वेतन के संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गई है।

नियम 13(10) आयोग के अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य तथा अंशकालिक सदस्यों के वेतन सुविधाओं आदि के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है :–

1– नियम 13 (10) के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को एकजाई वेतन रूपये 25000/– प्रतिमाह दिया जाना है इसके अलावा भी पेंशन पृथक से प्राप्त करते रहेंगे। यदि अध्यक्ष को कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो उन्हें रूपये 25000/– प्रतिमाह वेतन एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी को देय होते है के समान देय है। इसके अलावा अध्यक्ष को आयोग के मुख्यालय पर निःशुल्क सुसजिज्त आवास की पात्रता, एक कार, वाहन चालक सहित, कार्यालय एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविध सहित दूरभाष की सुविधा देय होगी।

2– आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को एकजाई वेतन रूपये 18,400/–प्रतिमाह की पात्रता होगी। सदस्य को यदि पेंशन प्राप्त होती है तो वह पृथक से प्राप्त होगी। सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें रूपये 18,400/– प्रतिमाह वेतन एवं उस पर राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों की पात्रता होगी। इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य की मध्यप्रदेश शासन के गृह भाडा भत्ता नियमों के अनुसार राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान गृह भाडा भत्ते की पात्रता कार्यालय तथा निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष की सुविधा देय होगी।

3– अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य को 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा एक कैलेण्डर वर्ष में एक माह के अर्जित/चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

4– आयोग के कार्य से यात्रा हेतु अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य को राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी।

5– रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों में किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति लाभों तथा पेंशन ग्रेच्युटी अथवा दोनों की पात्रता नहीं होगी।

6– अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

7– आयोग के अंशकालिक सदस्य को प्रत्येक बैठक रूपये 1,000/–प्रतिदिन सीटिंग फी एवं राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

8– नियम 17 अनुसार आयोग के कार्य से अस्थाई रूप से बुलाये गये व्यक्तियों को रूपये 500/– प्रति दिन सिटिंग फीस एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

विभाग द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं में थ्री स्टार होटल में रूकने पर व्यय की प्रतिपूर्ति एवं मेडिक्लेम सुविधा पर वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की जाती है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

/

(आशीष उपाध्याय)
सचिव,
म.प्र. शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क0 1791 /07/सीसी/अड़तीस भोपाल,दिनांक– 11.9.07

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय, भोपाल
4. कुलसचिव,समस्त विश्वविद्यालय,म0प्र0
5. निज सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा
6. अध्यक्ष/नियमित एवं अंशकालिक सदस्य, विनियामक समिति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,
म.प्र. शासन,उच्च शिक्षा विभाग